पत्रांक 416 /फेडरेशन/वाहन/2025–26

कार्यालय
उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0
प्रेमनगर–देहरादून।
दिनांक 11/8/ 2025

सेवामें,

....

....

....

महोदय,

उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन को उप महाप्रबंधक, यूसीआरएफ के आवागमन हेतु हेतु एक बौलेरो वाहन की आवश्यकता है। इच्छुक वाहन स्वामियों/एजैन्सियां अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र पत्र दिनांक 129.8.2025 तक इस कार्यालय को व्यक्तिगत रुप/डाक से प्रेषित कर सकती है। वाहन किराये पर लेने हेतु कार्यालय आयुक्त परिवहन, उतराखण्ड के आदेश संख्या– 3805 दिनांक 1 अगस्त 2013 के द्वारा निर्धारित दरों के कम में मासिक दरें स्वीकार की जायेंगी।

प्रबंध निदेशक
उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि
प्रेमनगर–देहरादून।

उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0

उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन को महा प्रबंधक को विभागीय कार्यो के सम्पादन हेत आवागमन हेतु एक डीजल चालित महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बुलेरो/बुलेरो नियो (61 सीटर,BS&VI), जो दो वर्ष से अधिक पुराना न हो तथा को मासिक दरों पर किराए पर अनुबंधित किए जाने हेतु निजी वाहन स्वामियों /ट्रैवल एजेन्सियों से दिनांक **29.08.2025** के अपराहून 5–00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त कोटेशन दिनांक **30.08.2025** को पूर्वाह **11–00** बजे समिति द्वारा कार्यालय उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन में खोली जायेंगी।

निविदा से संबंधित नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं–

1- कोटेशन फेडरेशन द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र पर ही मान्य होगी। निविदा प्रपत्र के क्रिय से संबंधित सभी कार्यवाही कार्यालय यूसीआरएफ कार्यालय में सम्पादित की जाएँगी।

1ण कोटेशन सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा दस्ती तौर पर इस कार्यालय को निर्धारित तिथि व समय तक उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

2ण सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होंगी।

2- कोटेशन के साथ रू.100/– (रू.एक सौ मात्र) का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

3- पूर्ण रूप से भरे गये कोटेशन फार्म की स्वीकृति पर ही विचार किया जायेगा तथा लिखावट में काटपीट अथवा उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) वाली निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेंगी।

4- उत्तराखण्ड शासन, परिवहन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– 212/XI&1/2016/2011/2023 दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी के वाहन हेतु मासिक किराया की आधार दर निर्धारित वाहन श्रेणी ई (महिन्द्र बोलेरो) हेतु निर्धारित दर के साथ अतिरिक्त जीएसटी से अधिक की निविदा दर स्वीकार नहीं की जाएगी।

5- वाहन का मॉडल दिनांक 01 अप्रैल 2023 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। दरें समान होने पर नवीनतम मॉडल वाली एवं अधिकतम माइलेज वाले वाहन संबंधी निविदा को वरीयता दी जायेगी।

6- वाहन का न्यूनतम माइलेज 10 कि.मी. प्रति लीटर होना आवश्यक होगा।

7- वाहन के रख–रखाव, मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स सहित सभी प्रकार के करों एवं सभी प्रकार के व्ययभार का वहन वाहन स्वामी को स्वयं करना होगा। निविदा में स्वीकृत दर के अतिरिक्त विभाग के द्वारा ईधन आपूर्ति की जायेगी।

8- कोटेशन स्वीकृत होने पर वाहन का उपयोग कार्यालय समयावधि के अतिरिक्त भी किसी भी समय किया जा सकता है, जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

9- अनुबंधित वाहन के चालक के पास वैध हिल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है तथा चालक को पहाड़ी मैदानी मोटर मार्गों पर ड्राइविंग में दक्ष होना चाहिए

10- अनुबंधित एवं अनुरक्षण वाहन के कार्य स्वामी को निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार समय–समय पर वाहन की व्यवस्था करने के साथ वाहन की नियमित रूप से साफ–सफाई एवं धुलाई उपकरण, फायर इक्सिटिन्युशर के साथ–साथ गुणवता की मैटिंग एवं स्वच्छ सीट कवर के साथ–साथ अग्निशामक उपलब्ध कराने होंगे, जिसके लिए विभाग के द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

11- तकनीकी वाहन खराबी स्वामीया को अन्य कारणों से अनुबंधित वाहन के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो सकने की दशा में जिसके लिए किसी भी अविलंब दूसरे वाहन की व्यवस्था कर उसे कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

12- यदि वाहन स्वामी व्यवहार एवं आचरण विभागीय हित में नहीं होता है तो कोटेशन की दरें बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जायेगी।

13- अनुबंधित लिए अनुबंधित वाहन से वाहन संबंधित भुगतान मासिक आधार पर बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा, अंकित दूरी एवं ईंधन स्वामी द्वारा बिल को वाहन की लॉग बुक सहित प्रस्तुत करना होगा। लॉग बुक होगा और निविदा में अंकित की प्रविष्टि सम्बन्धित

मातवर सिंह भण्डारी
महा.प्रबन्धक
यू.सी.आर.एफ.
प्रेमनगर, देहरादून

अधिकारी/उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करने पर ही भुगतान देयमूल्य का समायोजन संबंधित बीजक न्यूनतम माइलेज से अधिक ईंधन खपत होने की दशा में अधिक प्रयुक्त ईंधन के में किया जाएगा।

14- किसी दिन विशेष अथवा समयावधि में वाहन का उपयोग नहीं होने की दशा में वाहन कार्यालय परिसर मे रहेगा। फेडरेशन कार्य के उपयोग एवं कार्यालय परिसर से अनुपस्थित रहने की तिथि का किराया देय नही होगा।

15- जिसकी काटेशन स्वीकृत होगी, उसे इस संबंध में सूचित किए जाने की तिथि से एक सप्ताह आवष्यक कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी।

16- अनुबंध से पूर्व वाहन का भौतिक सत्यापन किया जायेगा एवं कार्यादेश निर्गत होने और अनुबंधित वाहन स्वामी को के उपरान्त दो दिनों के अंतर्गत वाहन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

17- वाहन स्वामी को समस्त करों एवं दायित्वों सहित एकमुश्त मासिक किराया दर (तेल रहित) अंकित करना होगा।

18- वाहन के लिए आवश्यक डीजल की व्यवस्था इस कार्यालय के द्वारा की जाएगी।

19- अभिलेखों की छायाप्रतियाँ यथा पंजीकरण प्रमाण पत्र, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र तथा वाहन निविदा के साथ संलग्न करनी आवश्यक होंगी।

20- प्रस्तुत दरों की वैघता 30 अगस्त 2025 ही मान्य होगी बशर्ते कि इसके पूर्व इसे समाप्त न कर दिया जाये।

21- प्राप्त किसी एक या समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति

22- इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, का निर्णय अन्तिम होगा।

मातबर सिंह
महाप्रबन्धक
यू.सी.
प्रेमनगर,